शिक्षा के विरुद्ध शिक्षा का क़ानून

बीते दो-ढाई दशक में सरकारी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब हुई है. शिक्षकों और व्यवस्था की कमी, गुणवत्ता न होने से अभिभावक सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं.

सस्ती शिक्षा की उपेक्षा के खिलाफ प्रदर्शनः ढांचा दुरुस्त करने की मांग

शिवानंद द्विवेदी

उम्मीद की गयी थी कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद देश में प्राथमिक स्तर पर गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिलना सुनिश्चित हो सकेगा. लेकिन इस कानून की पेचीदगियों ने इसकी प्रासांगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. देश में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पिछले दो-ढाई दशक में सरकारी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब हुई है. शिक्षकों और व्यवस्था की कमी, गुणवत्ता न होने से अभिभावक सरकारी स्कूलों से दूर हुए हैं. तमाम सरकारी प्रलोभन भी छात्रों को वापस स्कूल नहीं ला पा रहे. इसके चलते गली-गली में निजी स्कूल खुल गये. गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहा. तमाम परिवार गणवेश, स्टेशनरी और छात्रवृत्ति सरकारी स्कूलों से ले रहे लेकिन शिक्षा निजी स्कूल में. परंतु शिक्षा के अधिकार के आगमन के साथ ही निजी विद्यालयों पर खतरा मंडराने लगा.

नये नियमों के तहत देश के लाखों निजी स्कूल अवैध मान लिये जायेंगे. मीडिया में आयी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हजारों स्कूल बंद हुए. आरटीई कानून के दो प्रमुख बिंदु हैं जो इन स्कूलों के लिये समस्या खड़ी कर रहे हैं. पहला, एक निश्चित क्षेत्रफल में स्कूलों की अनिवार्यता और दूसरा गली-मोहल्ले के स्कूलों के लिये भी मान्यता को अनिवार्य करना. ये नियम उन स्कूलों पर भी थोपे जा रहे हैं जो बीते कई सालों से चल रहे हैं. कानूनन प्राथमिक स्कूलों के लि ये 800 वर्गमीटर और माध्यमिक के लिये 1000 वर्गमीटर जमीन होनी अनिवार्य है. कई स्कूल ऐसी बसावट वाले इलाकों में हैं जहां अब विस्तार की संभावना नहीं. इनकी आय और बजट भी इतना अधिक नहीं है कि ये दूसरे खुले इलाकों में जाकर अपने स्कूल को नये तरह से शुरू कर सकें.

पहले कक्षा सात तक चलने वाले स्कूलों के लिये मान्यता आवश्यक नहीं थी लेकिन अब नये नियम में मान्यता अनिवार्य है. अगर आरटीई के मुताबिक स्कूल खोलना हो तो बुनियादी ढांचे में ही बहुत बड़ा निवेश करना होगा. चूंकि इन स्कूलों की फीस भी बहुत सीमित होती है इसलिए इसका असर सीधा फीस पर पड़ेगा. ऐसे में इन सस्ते स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले तमाम परिजन प्रभावित होंगे. स्कूल च्वायस से संबंधित शोध पर काम कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के एसोसएट डायरेक्टर अमित चंद्रा कहते हैं, 'सरकार इस कानून के जरिये शिक्षा को छोटे लोगों से छीन पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है. गुणवत्ता के बजाय बुनियादी ढांचे को तरजीह देना बताता है कि सरकार का ध्यान शिक्षा पर कम और सुविधाओं पर ज्यादा है.

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में इस दिश में राह दिखायी गयी. वहां पुराने स्कूलों को नियम से राहत दी गयी है. जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा को वरीयता और नियमों का द्वितीयक बनाने का काम किया लेकिन उनके केंद्र में आने पर पता नहीं क्यों सरकार उसी मॉडल को पूरे देश में लागू नहीं कर पा रही?'

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश से आये मान्यता प्राप्त शिक्षा संघ के प्रदेश प्रभारी राहुल भारती बताते हैं, 'इस नये नियम पर जोर देने से लाखों की संख्या में वो बच्चे सड़क पर आ जायेंगे जिनकी शिक्षा पुराने स्कूलों पर निर्भर है.' वहीं उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय संघ की तरफ से आये ब्रजेश यादव कहते है कि सरकार यही मानक अपने विद्यालयों पर नहीं लागू करती जबकि निजी स्कूलों पर नियम का दबाव बनाया जा रहा है.

ब्रजेश कहते हैं, 'साल 2011 में भी सरकार ने इन विद्यालयों को बंद करने का नोटिस दिया था, तब भी हम सडक पर उतरे.' 2013-14-15 में भी यही रहा. सरकार को स्थायी समाधान देने की जरुरत है. आखिर लाखों बच्चे कहां जायेंगे? उनकी क्षमता बड़े स्कूलों में पढने की नही है और छोटे स्कूलों का बजट आरटीई के मानकों को पूरा करने का नही है.' महाराष्ट्र से आये भरत मलिक कहते हैं कि छोटे-छोटे यानी बजट स्कूलों में जब आरटीई के मानकों को शतप्रतिशत लागू करने का दबाव आयेगा तो या तो ये स्कूल बंद हो जायेंगे या फिर गलत काम करेंगे. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अगर आरटीई के नियमों में ढील नहीं दी गयी अथवा पुराने स्कूलों से यह नियम हटाया नही गया तो लगभग लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे. क़ानून से स्कूल तो बंद किया जा सकता है लेकिन बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जायेगा इसको लेकर किसी के पास कोई योजना नही है.

यह कानून आते ही देश के तमाम अल्पसंख्यक स्कूल सर्वोच्च न्यायालय चले गये. इन स्कूलों ने अपनी स्वायत्तता का हवाला देते हुए याचिका दायर की दी. ऊपरी अदालत ने इनकी दलील स्वीकार करते हुए इनको आरटीई कानून के नये प्रावधानों से मुक्त भी कर दिया. इन स्कूलों को भवन, मान्यता और 25 फीसदी गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसे किसी भी नियम का पालन नहीं करना होगा. नतीजा यह हुआ कि छोटे स्कूल चलाने वाले बहुत से स्कूल प्रबंधकों ने अपने स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा दे दिया. ऐसे में सवाल है कि उन नियमों का फायदा ही क्या जिनका विकल्प सरकार उपलब्ध नही करा पा रही लेकिन बंदिशें जरुर पैदा कर रही है. ■